**दिनांक 16.01.2012 को श्री कड़िया मुण्डा, माननीय लोकसभा उपाध्यक्ष–सह–सांसद खूंटी संसदीय क्षेत्र–सह–अध्यक्ष जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, गुमला की अध्यक्षता में आयोजित जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही :–**

**उपस्थिति :–**

उपस्थिति पंजी में संधारित है ।

**कार्यवाही**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्रवाई श्री कड़िया मुण्डा, माननीय लोकसभा उपाध्यक्ष–सह–सांसद खूंटी संसदीय क्षेत्र–सह–अध्यक्ष की अनुमति से प्रारंभ की गई। दिनांक 23.09.2011 को सम्पन्न जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया गया एवं आवश्यक निर्देश दिये गये जो आगे की कंडिकाओं में उल्लिखित हैं।

**1.पेयजल :–** पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल की योजनाओं की समीक्षा की गई। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल के सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि पेयजल आपूर्ति हेतु सभी पंचायतों को आबंटित दो–दो लाख रूपये से मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि चापाकल गाड़ने के पूर्व **Geological survey of India** के **survey** के आधार पर कराया जाय। निदेश दिया गया कि चापाकल मरम्मति हेतु प्रति पंचायत 2.00 लाख रू0 का उपयोग कर सूचित किया जाय। सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में **Geological survey** का कोई प्रावधान नहीं है । इस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा चिंता व्यक्त की गई कि **Geological survey** नहीं होने से टुकुटोली एवं उर्मी क्षेत्र में चापाकल का निर्माण संभव ही नहीं होगा क्योंकि वह पठारी क्षेत्र है । वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था के उपाय करने के सख्त निदेश दिए गए। टुकुटोली में किसी के ऑगन में बोरिंग करने की शिकायत के संबंध में पृच्छा की गई । इसकी जॉचकर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया । उपायुक्त महोदय द्वारा इसे राशि का दुरूपयोग बताते हुए प्र0वि0पदा0 एवं सी0ओ0 से संयुक्त जॉच की रिपोर्ट मॉगकर ऐसी अनियमितता के लिए दोषी, जे0ई0 के वेतन से राशि वसूली का निदेश दिया गया। माननीय विधायक, श्री कमलेश उरॉव द्वारा उर्मी पंचायत में चापाकल निर्माण में लापरवाही/अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया । इसकी जॉच प्रखण्ड विकास पदा0, गुमला को करने का निदेश दिया गया।

(i) श्रीमति प्रतिमा देवी, सदस्य द्वारा बताया गया कि पालकोट थाना के सामने पेयजल आपूर्ति की योजना दो साल पूर्व बनकर तैयार है अबतक चालू नहीं किया गया है। इसके लिये 70 लाख रूपये का प्राक्कलन स्वीकृति के लिये विभाग को भेजा गया लेकिन स्वीकृति नहीं मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग से सम्पर्क कर आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(ii) माननीय विधानसभा सदस्य सह समाज कल्याण एवं पर्यटन मंत्री श्रीमति विमला प्रधान के द्वारा पालकोट के बनुवा के पास डीपबोरिंग का कार्य, कोनवीर वाले डीपबोरिंग के तर्ज पर फ्लैश कराकर पुनः कार्य आरंभ करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में क0 अभि0 द्वारा इसे जुलाई में पूरी होने की जानकारी दी गई । उपायुक्त महोदय द्वारा जलापूर्ति करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया । **(अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गुमला/प्र0वि0 पदा0, गुमला)**

**2.(i)समाज कल्याण :–** समाज कल्याण अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित खिचड़ी कार्यक्रम अन्तर्गत संधारित पंजी एवं वास्तविक खर्च में काफी अंतर पाया जाता है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला द्वारा केन्द्र पर संधारित पंजी एवं उपयोग की गई सामग्री में कोई अंतर नहीं होने की सूचना दी गई । इस पर उपायुक्त महोदय द्वारा खर्च एवं आबंटन के ब्यौरे का मासिक जॉच एवं निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह भेजने का निदेश दिया गया ।

**(ii)आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण** :– माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं पर्यटन विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि आंगनबाडी केन्द्र भवन का निर्माण किसी भी विभाग/एजेंसी द्वारा करायी जाय किन्तु इसकी सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला को अवश्य दी जाय। माननीय मंत्री द्वारा बताया गया कि राशि की आवश्यकता होने पर उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। **(अनुपालनः– जिला समाज कल्याण पदा0, गुमला/सभी कार्यकारी एजेंसी)**

**3.चिकित्सा** :– दिनांक 04.04.2011 को सम्पन्न बैठक के प्रस्ताव सं0 8 पर एक्सपाइरी दवा वितरण में संलिप्त कर्मी की लापरवाही की जांच कर उनकी सेवापुस्त में कड़ी चेतावनी के इन्दराज के लिये निदेश दिया गया था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी , सदर प्रखण्ड को इस आशय की प्रविष्टि सेवा पुस्त में करने हेतु निदेश दिया गया था। सिविल सर्जन द्वारा इस बावत अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अवमानना एवं मिलीभगत का दोषारोपण किया गया तथा ठोस एवं असरदार कार्रवाई का सख्त निदेश दिया गया ताकि ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो। दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं कर सेवापुस्त भेजे जाने के कृत्य को आदेश की अवमानना करार देते मामले को सहजता से लिए जाने पर खेद प्रकट किया गया एवं सिविल सर्जन को अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। **(अनुपालनः–सिविल सर्जन, गुमला)**

**4.राष्ट्रीय उच्च पथ/पथ निर्माण विभाग** :– दिनांक 23.09.2011 को आयोजित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में संबंधित पदाधिकारी देर से पहुँचे थे । जिसके कारण समीक्षा नहीं हो सकीं थी ।

**(i) बेड़ों से पहले निर्माणाधीन पुल** :– कार्य0 अभियंता,एन0एच0 द्वारा बताया गया कि बेडोपुल का कार्य समाप्त होने एवं एप्रोच का काम प्रगति पर होने की जानकारी दी गई। नागफेनी पुल निर्माण प्रगति पर होने एवं इसके फरवरी तक पूरा होने की जानकारी दी गई।

**(ii)**(क) गुमला–लोहरदगा पथ में निर्मित पुलों का पहुँचपथ अधूरा होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने एवं ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई के लिए निदेश दिया गया।

**(ii)**(ख) माननीय समाज कल्याण मंत्री श्रीमति विमला प्रधान के द्वारा सूचित किया गया कि रॉची से विरमित्रापुर राष्ट्रीय उच्च पथ के अपूर्ण रहने, सामग्री गुणवत्ता युक्त नहीं होने तथा जले हुए मोबिल मिले अलकतरा का प्रयोग किये जाने की शिकायत तथा विंगवाल के नीचे से मिटटी निकल जाने से सिमडेगा में निर्माणाधीन पुल का डायभर्सन बहने की शिकायत थी । कार्यपालक अभियंता **NH** द्वारा बताया गया कि संबंधित संवेदक पर कार्रवाई की जा रही है साथ ही निर्माण कार्य प्रगति में है तथा अगले 3 माह में काम समाप्त होने की सूचना दी गई। पालकोट के नजदीक एन0एच0 को आधा काटकर छोड़ दिया गया है जिसे पूरा करने का निदेश दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा अभिकर्त्ता पर किए गये कार्रवाई से संबंधित सूचना एवं अधूरे कार्य को पूरा करने का निदेश दिया गया **(अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल एवं उच्च पथ)**

**5.जल संसाधन** :– कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल द्वारा बताया गया कि शंख जलाशय का निर्माण पूरा हो गया है मुख्य नहर के जल वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भू–अर्जन की प्रकिया चल रही है। जिसे रब्बी फसल के पूर्व पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है। इसके पूरा होने पर रब्बी फसल को अधिक लाभ पहुँचाया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वे ठीक से नहीं होने की शिकायत की गई। कतरी में आवंटन नहीं होने की बात कही गई । नहर के गेट से पानी लीक होने की समस्या पर इसे ठीक कराने का निदेश दिया गया। माननीय सांसद श्री सुदर्शन भगत, के द्वारा समय सीमा के अंदर कार्य करने का निदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि ***पारस डैम*** रॉची डिवीजन में है तथा नहर गुमला जिला में है । इस संबंध में रॉची डिवीजन को पत्र लिखने का निदेश दिया गया। **(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमंडल)**

**6.जिला अभियंता, जिला परिषद** :– जिला अभियंता, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रखण्डों में 22 विद्यालय भवन निर्माण कराया जा रहा है । 13 विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है । शेष चार योजना मार्च में एवं पॉच योजनाएँ अप्रैल में पूरी हो जाने की सूचना दी गई । जिला अभियंता द्वारा बताया गया कि ये बड़ी बड़ी योजनाएँ है जिसे विभागीय

कराया जा रहा है । इसके लिए राशि जिला परिषद के **PL** खाता में निदेशानुसार रखी गयी है । राशि की निकासी कार्य के विपत्र के विरूद्व की जाती है । अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं को समय सीमा के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालनः—जिला अभियंता, जिला परिषद )**

**7.मुख्यमंत्री सेतु योजनाः**— इसके अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा की गई । मुख्यमंत्री सेतु योजनान्तर्गत निर्मित अधिकतर पुल के बह जाने पर खेद प्रकट किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमडल, गुमला द्वारा सर्वे का प्रस्ताव भेजने एवं तत्पश्चात सर्वे किये जाने की बात कही गई। अध्यक्ष द्वारा इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर खेद जताई गई । उनके द्वारा कहा गया कि योजनाओं का सही ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं होने के कारण पुल ढहने जैसी घटनाएँ हुई है। उपायुक्त द्वारा टूटे हुए गॉर्डवाल की सूची भेजने का निदेश दिया गया। माननीय सांसद, श्री सुदर्शन भगत द्वारा घाघरा मार्ग में अरगी पुल निर्माण कार्य पूरा करने का निदेश दिया गया। कार्य0 अभि0 द्वारा इसके चालू होने एवं एप्रोच कार्य आरंभ होने की जानकारी दी गई। साथ ही सोगरा पुल पर भी बह गए एप्रोच पथ को ठीक करने का निदेश दिया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रकार के पुलों के DPR में गार्डवाल को भी सम्मिलित करते हुए DPR बनाने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ घटित न हों। **(अनुपालनः—कार्यपालक अभियंता,ग्रा0वि0विशेष प्रमंडल)**

**8. पथ प्रमंडलः**— मांझा टोली से महुआडांड पथ निर्माण की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर कशर लगा है तथा कार्य प्रगति में है। मरियम टोली में डंपिंग कार्य होने की भी बात कही गई । श्री कमलेश उरॉव,स0वि0स0 द्वारा कार्य में गति लाने का निदेश दिया गया । माननीय सांसद श्री सुदर्शन भगत द्वारा डुमरी से जैरागी के काम की स्थिति की जानकारी ली गई । कार्य0 अभि0 द्वारा कृष्णा कंस्ट्रक्शन के संवेदक के भाग जाने की सूचना दी गई जिसे नोटिस भेजा गया है । अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि संबधित संवेदक को पुनः 15 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ करने का नोटिस निर्गत करें । यदि उनके द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो उसे काली सूची में रखने एवं अन्य व्यवस्था कर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। **(अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता,पथ प्रमंडल)**

**9. झालको** :— अवर क्षेत्रीय प्रबंधक, झालको द्वारा बताया गया कि 80 सिंचाई कूप निर्माण कार्य स्वीकृत कर कार्यान्वयन किया जा रहा है । उसमें से 20 पूर्ण हो गये है ।18 पर आंशिक कार्य बाकी है । अधूरे कूप को मार्च 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उपायुक्त महोदय एवं श्रीमति प्रतिभा देवी, सदस्य द्वारा सारी योजनाओं का फोटो सहित Detail report भेजने का निदेश दिया गया ।**(अनुपालनः—झालको )**

**10 (i) शिक्षाः**— जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला द्वारा बताया गया कि मध्याह्न भोजन योजना हेतु कुछ विद्यालयों में शेड नहीं बना है । बताया गया कि 9 नये विद्यालय में भंडार नहीं रहने के कारण बर्त्तन एवं अन्य उपयोग की सामग्रियॉ रखने में कठिनाई होती है । पालकोट के लौंवाकेरा नये विद्यालय में किचन शेड नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त स्थान पर निर्माण की कार्रवाई की जाय। साथ ही उत्कमित विद्यालय के कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्रों के लिये मध्याह्न भोजन चलाने का निदेश दिया गया। इस योजना से 139 विद्यालय वंचित रह गये हैं जिसमें अविलंब लागू करने का निदेश दिया गया।

(ii) विमर्श के दौरान विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर माननीय अध्यक्ष द्वारा चिंता जताई गई। इस पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षक नियुक्ति की अर्हता संबंधी बिन्दुओं पर ध्यान दिलाते हुए बताया गया कि शिक्षकों के स्थानीय होने के साथ ही अंग्रेजी एवं विज्ञान की अनिवार्यता के कारण सिर्फ 40 प्रतिशत शिक्षक की नियुक्ति हो सकी है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि अंग्रेजी एवं विज्ञान की अनिवार्यता को खत्म किया जाय। निदेश दिया गया कि इस संबंध में राज्य मुख्यालय से निदेश प्राप्त किया जाय। **(अनुपालनः—जिला शिक्षा अधीक्षक)**

**11 (i)इन्दिरा आवास** :— इस योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई । निदेश दिया गया कि सरकार से राशि प्राप्त होती है उसका व्यय नियमानुसार समय पर किया जाय एवं अधूरे आवास को अविलम्ब पूर्ण कराया जाय।

**(ii) मनरेगा** :– योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई । निदेश दिया गया कि बरसात के बाद कूपों की सूची तैयार कर क्षतिग्रस्त कूपों को पूर्ण कराया जाय । यह भी निदेश दिया गया कि कूप निर्माण के लाभुक आर्थिक रूप से कमजोर होते है। अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिये नियमानुसार राशि की मदद दी जानी चाहिए । राशि उपलब्धता के संबंध में बताया गया कि माह जून से राशि की कमी थी किन्तु अब राशि उपलब्ध है।माननीय विधायक, श्री कमलेश उराँव द्वारा बताया गया कि सिंचाई कूप की भांति ही कुछ इन्दिरा आवास भी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। निदेश दिया गया कि धँसे हुए इन्दिरा आवासों को भी यथासंभव समय पर पूर्ण कराया जाय। **(अनुपालनः–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)**

**12-वन विभाग** :– **(i)** वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला बैठक में अनुपस्थित पाये गये । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि वन प्रमण्डल पदा0, गुमला से अनुपस्थित रहने के लिये स्पष्टीकरण मांगा जाय।

**(ii)** वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिये खोदे गये गड्ढों हेतु श्रमिकों को मजदूरी भुगतान 4 से 13 जगह लंबित होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में **DFO** वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची को लिखकर भुगतान की व्यवस्था एक सप्ताह में करने का निदेश दिया गया । **झिकिरिमा, खारी** में हाथियों द्वारा क्षति के भुगतान करने का निदेश माननीय सांसद, श्री सुदर्शन भगत द्वारा दिया गया । साथ ही हाथियों द्वारा हुए जनहानि का **Revise** रिर्पोट भी देने का निदेश दिया गया । **(अनुपालनः–वन प्रमंडल पदा0)**

**13-NRLM:-** इसके संबंध में अपरसमाहर्त्ता गुमला, द्वारा बताया गया कि गुमला जिला में वर्तमान में इस कार्य के लिए चयनित नहीं है। कार्यवाही सरकार स्तर से चल रही है।

**14-सामाजिक सुरक्षा** :– सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि पेंशन अगस्त 2011 तक का भुगतान हो गया है । पेंशन की राशि केन्द्रांश 500 /– एवं राज्यांश 200/– यानि कुल 700/– रूपया प्रतिमाह है । पेंशन भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत डुमरी कॉ –ओपरेटिव बैंक,गुमला से आई हैं। माननीय सांसद, श्री सुदर्शन भगत द्वारा इसे हफ्ते भर में शुरू करते हुए बैंक से संलग्न कर भुगतान आरंभ करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त महोदय द्वारा जारी को अंचल बनाने का प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी गई इससे भुगतान में विलंब नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय द्वारा पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं होने पर अफसोस जताते हुए सहकारी बैंक का काम बैंकों को दिये जाने का निदेश दिया गया। मुरूमकेला, टुकुटोला, बुकुरमा से किसी प्रकार की सरकारी अनुदान अभी तक नहीं मिलने की शिकायत पर ग्राम/पंचायतवार वृद्ध पेंशनधारियों की जॉच करने एवं रिर्पोट देने का निदेश दिया गया। विवेकानंद पेंशन योजना अंतर्गत विकलांगों को 200/–रूपये देने का प्रावधान है इस संबंध में प्रखण्डवार सर्वे का निदेश दिया गया । साथ ही गलत सर्वे कर रिर्पोट देने पर कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया। **(अनुपालनः–सहायक निदेशक , समाजिक सुरक्षा)**

**15.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति** :– रायडीह के लैम्पस से 120 बोरा खाद आपूर्ति हेतु लाया जा रहा था। जिसमें से गंतव्य तक 42 बोरा ही खाद पहुँचा। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जिला सहकारिता पदा0 से जॉच कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

**(अनुपालनः–जिला सहकारिता पदा0)**

**16.देशी औषधालय** :– माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा देशी औषधालय की व्यवस्था यथा पेयजल की व्यवस्था, विद्युतिकरण, शौचालय की व्यवस्था इत्यादि की पूछताछ की गई। प्रबंधन द्वारा सिर्फ चिकित्सा भवन निर्माण के अलावे चाहरदीवारी की व्यवस्था पर भी विमर्श किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमंडल पदा0, सदर गुमला, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल एवं जिला देशी चिकित्सा पदा0, गुमला से मिलकर जल्द से जल्द निपटाने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालनः– अनु0 पदा0/कार्यपालक अभियंता भवन एवं देशी चिकित्सा पदा0)**

**17.बसिया– कोनबीर पाईप लाईन** :– इस पाईप लाईन को अभी तक पूरा नहीं किये जाने के संबंध में माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी की मांग की गई एवं कारण जानने की इच्छा जाहिर की। बताया गया कि **PWD**द्वारा पाईप लाईन लगाने पर विरोध किया जा रहा है।निदेश दिया गया कि दोनों विभाग संयुक्त रूप से जांच कर पाईप लाईन लगानें हेतु एक सप्ताह के अंदर **NOC** निर्गत करें । (अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता **PHED/N.H)**

**18.राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना** :– श्रीमति प्रतिमा देवी, सदस्य द्वारा बताया गया कि पालकोट ग्राम में बिजली का पोल गिरा दिया गया है। तार लाया गया है परन्तु बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। पालकोट प्रखण्ड के अलंकेरा, कोलेंग, बिलिंगबीरा में भी यही स्थिति है। प्रमुख पंचायत समिति बसिया द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड के उत्तरी छोर में यही स्थिति है । ओकवा, मसरला आर्या एवं कुट्टीपाट में भी यही शिकायत है । बताया गया कि सिलम से सुगदा तक टेंडर आमंत्रित किया गया है किन्तु कोई टेंडर प्राप्त नहीं हुआ है।

बताया गया कि इस योजना के तहत 905 गॉवों का विद्युतिकरण किया जाना है । ट्रॉसफरमर जलने के कारण कार्य बाधित है। बताया गया कि समदरी गॉव में तीन साल से ट्रॉसफरमर जला हुआ है। उस गॉव के 120 परिवारों को बिजली उपलब्ध कराया जाना है। इसी प्रकार महुआटोली में भी डेढ़ साल से [redacted] ट्रॉसफरमर जलने का मामला प्रकाश में आया है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्थल जॉच कर अविलम्ब रिर्पोट दिया जाय ताकि तुरंत ठीक किया जा सकें। **(अनुपालनः–अधीक्षण अभियंता,राजीव गांधी विद्युतिकरण)**

**19.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः**– इसके अन्तर्गत फेजवार योजनाओं की समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण किया जाय एवं गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाय। इसके अलावे श्रीमति बिमला प्रधान, मंत्री समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा पालकोट से कोनबीर भाया नाथपुर सड़क की जर्जर अवस्था के संबंध में बताया गया। इस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना के लिए विभाग का **DPR** भेजा जा चुका है। निदेश दिया गया कि विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाय। **(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल)**

समीक्षा के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किये गए कार्यों के लिए अभिलेखों का संधारण अवश्य करें। बैठक की कार्यवाही प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को निश्चित रूप से समर्पित करें। **(अनुपालनः– सभी विभाग)**

अन्त में उप विकास आयुक्त, गुमला द्वारा बैठक में भाग लेने हेतु श्री कड़िया मुण्डा माननीय लोकसभा उपाध्यक्ष एवं सभी उपस्थित जन प्रतिनिधियों, सदस्यों एवं पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
सदस्य सचिव
जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
सह उपायुक्त गुमला।

ह0/–
अध्यक्ष
जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
गुमला।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला
ज्ञापांक 814(11) /जि0ग्रा0 दिनांक 03/07/12

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदा0, गुमला/रॉची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा/रॉची वनरोपण प्रमण्डल,रॉची/वन्यप्राणी प्रमण्डल, रॉची/सिविल सर्जन, गुमला/निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गुमला/अनुमण्डल पदा0,गुमला/जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला/जिला समाज कल्याण पदा0,गुमला/ जिला आपूर्ति पदा0/जिला सहकारिता पदा0 गुमला/देशी चिकित्सा पदा0 गुमला/ जिला शिक्षा अधीक्षक/कार्य0अभि0, जलपथ प्रमण्डल, गुमला/ चैनपुर 1/चैनपुर 2 /ग्रा0 कार्य प्रमण्डल/भवन निर्माण, प्रमण्डल,गुमला/ पथ निर्माण प्रमण्डल, गुमला /राष्ट्रीय उच्चपथ प्रमंण्डल, गुमला/ग्रा0वि0वि0प्र0, गुमला/ पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला/ विद्युत कार्यपालक अभियंता आपूर्ति प्रमण्डल,गुमला/अधीक्षण अभि0 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण, गुमला/ जिला अभि0, जिला परिषद,गुमला/अवर क्षेत्रीय प्रबंधक, झालको/सहा0 निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/प्र0वि0पदा0,गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कंडिका वार अनुपालन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर जिला ग्रामीणविकास अभिकरण, गुमला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उप विकास आयुक्त,
गुमला।

O/C